झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–49 / 2020

परमानंद मंडल उर्फ परमानंदन मंडल .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री के0के0 मिश्रा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री रवि प्रकाश, विशेष पी0पी0।

3 / 17.01.2020 कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों की उपेक्षा की गई है।

याचिकाकर्त्ता जामताड़ा साइबर अपराध थाना काण्ड संख्या 53 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता और अन्य लोगों को पकड़ लिया गया था और उनसे मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए थे। यह आरोप लगाया गया है कि उस पर साइबर अपराध में शामिल होने का आरोप था।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। याचिकाकर्त्ता 19.10.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपर नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान प्रथम सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा के संतुष्टि पर, जामताड़ा साइबर अपराध थाना काण्ड संख्या 53 वर्ष 2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है बशर्ते कि वह विचारण की समाप्ति तक विचारण न्यायालय में प्रत्येक तिथि को शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे और एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना चाहिए।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)